

पथ निर्माण विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

संख्या- प्र07/नियम-03/2016

3162 (51)

पटना, दिनांक - 09/5/16

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 को निम्नलिखित द्वारा तुरन्त के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :-

"163 (1). ऐसे मामले जहाँ मूल्यांकन हेतु एक से अधिक वित्तीय बोली (Financial Bid) शेष हो तो न्यूनतम दर अनुमोदित किए जाएंगे। एक से अधिक निविदादाता का दर समान रहने की स्थिति में संबंधित निविदादाताओं की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदादाता का चयन होगा।

(2). तकनीकी बोली (Technical Bid) के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष हो तो तुरन्त दोबारा निविदा आमंत्रित की जाएगी।

परन्तु आपवादिक परिस्थिति में ऐसी एकल वित्तीय बोली वाली निविदा पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षतावाली विभागीय निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे कार्यों के लिए विभागीय मंत्री का इस आशय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो कि प्रासंगिक परिस्थिति प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य आपातकालीन प्रकृति की स्थिति जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, पड़ोसी देशों से हितकारी संबंधों इत्यादि के कारण है। संबंधित कार्य के निविदा आमंत्रण के पूर्व ही विभागीय मंत्री का उक्त अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) पुनर्निविदा आमंत्रण के पश्चात् भी यदि तकनीकी बोली के मूल्यांकन के उपरान्त वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष रह जाती है तो ऐसे मामले का निपटारा सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

परन्तु ऐसी निविदाएँ जिसके निष्पादन हेतु प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता वाली विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है तो इस समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे मामलों को विभागीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-एम-4-12 / 2015-1946 (वि0) दिनांक 09.03.2016 के आलोक में प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- प्र07 / नियम-03 / 2016 3163(5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-प्र07/नियम-03/2016

3163 (5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि: माननीय उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


5.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-प्र07/नियम-03/2016

3163 (5)

पटना, दिनांक - 09/5/16

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर Upload करने हेतु प्रेषित।


9.5.16

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



Road Construction Department
Government of Bihar

Notification

No. Pra. 07/Niyam-03/2016

3162(S)

Patna, Dated 09/5/16

In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to substitute the Rule 163 of the Bihar Public Works Department Code by the following with immediate effect :-

"163 (1). In cases where more than one financial bid remains for evaluation, the lowest tender will be accepted. If rate quoted by more than one tenderer is same then the tenderer shall be selected on the basis of draw of lots in the presence of such tenderers.

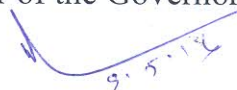
(2). After evaluating the technical bids, if only one tender remains for evaluation of financial bid then re-tender shall be invited immediately.

Provided that in exceptional situations a decision on such bids may be taken by Departmental Tender Committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the department after taking prior approval of the Minister in-charge of the department that the said situation constitutes a natural calamity or any other kind of emergency like public order, national security, friendly relation with neighbour countries etc. Such approval of Minister in-charge shall be obtained before inviting of tender for the work.

(3). If after inviting re-tender also, only one financial bid is left for evaluation after technical bid evaluation, then the matter will be disposed off by the next senior authority of the competent authority.

Provided that in cases of bids in which the competent authority is the Departmental Tender Committee presided over by Principal Secretary/Secretary of the department, the decision of the committee shall be final and there will be no need to refer the matter to Minister in-charge of the department."

By order of the Governor of Bihar


(Rajendra Prasad Gupta)
Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(2) Patna, Dated 09/5/16
Copy to Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.


Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(3) Patna, Dated 09/5/16

Copy to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for publishing in the Special Edition of Bihar Gazette.

It is requested to make available 1000 copies of the published Gazette to the Department.


Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(4) Patna, Dated 09/5/16

Copy to Principal Secretary, Finance Department, in reference to their letter No. M-4-12/2015-1946/F dated 09-03-2016, for information and necessary action.


Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(5) Patna, Dated 09/5/16

Copy to All Principal Secretaries/Secretaries/ All Departmental Heads/All Divisional Commissioners/All District Magistrates for information and necessary action.

Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(5) Patna, Dated 09/5/16

Copy to the Engineer-in-Chief-cum-Additional Commissioner-cum-Special Secretary, Road Construction Department/ Managing Director, Bihar Rajya Pul Nirman Nigam Ltd., Patna/ Managing Director, Bihar State Road Development Corporation Ltd., Patna/ All Chief Engineers, Road Construction Department/ All Superintendent Engineers, Road Construction Department/ All Executive engineers, Road Construction Department/ All Gazetted officers of Headquarters for information and necessary action.

Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(5) Patna, Dated 09/5/16

Copy to Private Secretary to the Deputy Chief (Road Construction) Minister, Bihar for information and necessary action.

Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.

Memo No. Pra. 07/Niyam-03/2016 3163(5) Patna, Dated 09/5/16

Copy to Superintending Engineer(Monitoring), Road Construction Department, Bihar, Patna to upload on Departmental Web-site.

Joint Secretary to the Government,
Road Construction Department,
Bihar, Patna.